डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. राजबाई पत्नि भीकमसिह राजपूत निवासी भौपुर तहसील टोडाभीम।

(वादीया)

बनाम

1. रामसिंह पुत्र देवीलाल मीना
2. गोपाल सिंह पुत्र भीमसिंह राजपूत
3. श्यामबाई पत्नि भीमसिंह राजपूत
4. छोटूसिंह पुत्र बख्तावर राजपूत
5. गोविन्द सिंह पुत्र छोटूसिंह राजपूत
6. स्वरूप सिंह पुत्र छोटूसिंह राजपूत
7. मिथलेश पत्नि मुन्दराज सिंह पुत्र छोटूसिंह राजपूत
8. रिंकूसिंह पुत्र मुन्दराज सिंह
9. आरती पुत्री मुन्दराज सिंह
10. पूजाबाई पुत्री मुन्दराजसिंह
11. निशा देवी पत्नि अशोकसिंह पुत्र छोटूसिंह
12. रोहित पुत्र अशोक सिंह
13. अंजनी पुत्र अशोक सिंह
    निवासीयान भौपुर तहसील टोडाभीम।
14. सब तहसीलदार बालघाट।
15. बैक ऑफ बडौदा शाखा झारेडा।
16. सरोजबाई पत्नि रूपसिंह राजपूत निवासी भोपुर तहसील टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0ः– 51/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट व राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि ग्राम पहाडी की आराजीयात मे निम्न प्रकार डिक्री दी जाती हैः–

क्र0स	खाता न0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	268	राजबाई पत्नि भीकमसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	1650/1	0.1450 है0
2	268	गोविन्द सिंह पुत्र छोटूसिंह हिस्सा 1/4, स्वरूप सिंह पुत्र छोटूसिंह हिस्सा 1/4, मिथलेश पत्नि मुन्दराजसिंह हिस्सा 1/8, आरती पुत्री मुन्दराज सिंह हिस्सा 1/[illegible], पूजाबाई पुत्री [illegible] सिंह हिस्सा 1/16, निशा देवी प[illegible] अशोक[illegible] सिंह हिस्सा 1/12, [illegible] पुत्र अशोक [illegible] 1/12, अंजनी पुत्र अशोकसिंह हि[illegible] 1/12 जातियान राजपूत सा.देह खातेदार साहिन पूर्ण हिस्सा बैक ऑफ बडौदा शाखा झारे[illegible]	1650/2	0.1450 है0
3	268	श्यामबाई पत्नि भीमसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	1650/3	0.1450 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

4	268	सरोज बाई पत्नि रूपसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	1650/4	0.1450 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज......................मुबलिंग.............................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक................अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05.11.2024 को जारी की गई।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0 51/2021 दिनांकः— 16.06.2021

पीठासीन अधिकारीः— पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. राजबाई पत्नि भीकमसिंह राजपूत निवासी भौपुर तहसील टोडाभीम।

(वादीया)

बनाम

1. रामसिंह पुत्र देवीलाल मीना
2. गोपाल सिंह पुत्र भीमसिंह राजपूत
3. श्यामबाई पत्नि भीमसिंह राजपूत
4. छोटूसिंह पुत्र बख्तावर राजपूत
5. गोविन्द सिंह पुत्र छोटूसिंह राजपूत
6. स्वरूप सिंह पुत्र छोटूसिंह राजपूत
7. मिथलेश पत्नि मुन्दराज सिंह पुत्र छोटूसिंह राजपूत
8. रिंकूसिंह पुत्र मुन्दराज सिंह
9. आरती पुत्री मुन्दराज सिंह
10. पूजाबाई पुत्री मुन्दराजसिंह
11. निशा देवी पत्नि अशोकसिंह पुत्र छोटूसिंह
12. रोहित पुत्र अशोक सिंह
13. अंजनी पुत्र अशोक सिंह
    निवासीयान भौपुर तहसील टोडाभीम।
14. सब तहसीलदार बालघाट।
15. बैक ऑफ बडौदा शाखा झारेडा।
16. सरोजबाई पत्नि रूपसिंह राजपूत निवासी भोपुर तहसील टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकट वादीया
श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट प्रतिवादी न0 1 ता 13

निर्णय

दिनांक 05.11.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भोपुर की आराजी ख0न0 1650/0.58 है0 मे वादीया 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से के प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबन्दी सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात को वादीया एवं प्रतिवादीगण न0 3 ता 13 ने प्रतिवादी न0 1 को आध बटाई पर बता रखा है। जिसे प्रतिवादी न0 1 आध बटाई पर काश्त करते चले आ रहे है। जिसका आज दिन तक विधिवत बटवारा नही हुआ है, लेकिन मौके पर उक्त आराजी को वादीया एवं प्रतिवादी न0 3 ता 13 अपने-अपने हिस्से पर काबिज एवं दखील है लेकिन प्रति[illegible] व 2 वादीया की कमजोरी का फायदा उठाकर उसके हिस्से की भूमि को प्रतिवादी न0 3 [illegible] 6 [illegible] वादीया की हिस्से की भूमि को जबरन मिलाकर व जबरन कब्जा करने की फिराक [illegible] है जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी न0 3 ता 13 [illegible] व कुटुम्बी है। प्रतिवादी न0 1 व 2 आये दिन वादीया के कब्जे वाली जमीन को लट्ठ के [illegible] पर वादीया को हैरान व परेशान करते रहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:51:21 IST
Reason: Self Attested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner

बॉका दिनांक 12.06.2021 का है कि वादीया अपने बडे पुत्र के साथ अपने हिस्से व कब्जे की आराजी मे आगाती फसल हेतु साफ सफाई करने मौके पर गई तो मौके पर प्रतिवादी न0 1 व 2 से साज कर प्रतिवादी न0 3 ता 6 वादीया की भूमि को अपनी कब्जे की भूमि मे मिला रहे थे। तो वादीया के लडके दातार सिंह ने प्रतिवादी न0 1 व 2 को ऐसा करने के लिये मना किया तो प्रतिवादी न0 1 रामसिंह ने वादीया के पुत्र दातार सिंह को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और कहा कि यहॉ से भाग जाओ, इस जमीन पर हम अन्य सहखातेदारान की सहायता से कब्जा करूगां तो वादीया के लडके दातार सिंह ने ऐसा अन्याय नही करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी विधिवत बटवारा रिकार्ड मे नही हो जाता तब तक आप मेरे हिस्से की भूमि मे कुछ मत करो क्योकि प्रतिवादीगण न0 3 ता 13 तो मेरे परिवारजन व कुटुम्बी है। लेकिन वो मानने को तैयार नही हुये, प्रतिवादीगण न0 3 ता 6 से प्रतिवादी न0 1 व 2 को समझाने के लिये कहा तो वो टालमटोल करने लगे इसलिये यह दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण बावत तकास्मा प्राथमिक डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 1560/0.58 है0 ग्राम भोपुर मे वादीया की 1/4 हिस्से की खातेदारी का अलग खाता कायम किया जाकर बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे। तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा रिपोर्ट तलब फरमाई जाकर तथा बाद प्राप्त बटवारा रिपोर्ट फाईनल डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीया के हिस्से व कब्जेकाश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दावा बाद सुनवाई दिनांक 26.07.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर नायब तहसीलदार बालघाट से बटवारा स्कीम तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

नायब तहसीलदार बालघाट से प्राप्त बटवारा स्कीम का उभयपक्ष वकील ने अवलोकन कर अपनी बहस मे कथन किया कि नायब तहसीलदार बालघाट द्वारा मुताबिक रिकार्ड व कब्जेकाश्त अनुसार बटवारा स्कीम पेश की है जिसमे उभयपक्ष वकील ने सहमति जाहिर की, अतः मुताबिक बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, व बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार बालघाट द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा उभयपक्ष वकील ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि नायब तहसीलदार बालघाट द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम भोपुर मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

क्र0स	खाता न0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	268	राजबाई पत्नि भीकमसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	1650/1	0.1450 है0
2	268	गोविन्द सिंह पुत्र छोटूसिंह हिस्सा 1/4, स्वरूप सिंह पुत्र छोटूसिंह हिस्सा 1/4, मिथलेश पत्नि मुन्दराजसिंह हिस्सा 1/8, [illegible] पुत्री [illegible] सिंह हिस्सा 1/16, पूजाबाई पुत्री मुन्द[illegible] सिं[illegible] हिस्सा 1/16, निशा [illegible] अशोक [illegible] हिस्सा 1/12, रोहित पुत्र अशोक सिंह [illegible] 1/12, अंजनी पुत्र अशोकसिंह हिस्सा 1/12 जातियान राजपूत सा.देह खातेदार राहिन [illegible] हिस्सा बैक ऑफ बडौदा शाखा झारेडा	1650/2	0.1450 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner

3	268	श्यामबाई पत्नि भीमसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	1650/3	0.1450 है0
4	268	सरोज बाई पत्नि रूपसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	1650/4	0.1450 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी,

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner